

डिक्री एवं मुकदमे इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 29/2026

हरदीप सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.)

-वादी

बनाम्

1. गुरप्रेम सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- प्रतिवादीगण


उपस्थिति :-

वादी की ओर से :- श्री गुरमीत सिंह कलसी, एडवोकेट
प्रतिवादी सं. 01 की ओर से :- श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल, एडवोकेट

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक(आर.ए.एस.) के समक्ष
वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री गुरमीत सिंह कलसी वकील
वादी मिन जाकिन मुदई तथा श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल वकील प्रतिवादी सं.
01 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी तथा
प्रतिवादी सं. 1 का खाता दावा की दफा 3 के मुताबिक अलग कायम किया
जाकर रकमराज अलग कायम किया जावे तथा इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड
में अंकन किया जाकर चक 3 एन.के.आर. खाता सं. 133/107 खाता गुरप्रेम
सिंह वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में दर्ज कुल 1.3280 है. कृषि भूमि
में से 0.9355 है. आराजी वादी हरदीप सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह के नाम
तथा शेष 0.3925 है. आराजी प्रतिवादी सं. 1 गुरप्रेम सिंह पुत्र श्री दर्शन
सिंह के नाम दर्ज की जावे तथा इसी चक के खाता सं. 168/51 खाता
गुरप्रेम सिंह वगैरा में दर्ज कुल 1.082 है. आराजी में से 0.2505 है. आराजी
वादी के नाम तथा उक्त खाता की शेष 0.8315 है. आराजी प्रतिवादी सं. 1
गुरप्रेम सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह के नाम दर्ज किया जावें। इसी अनुसार राजस्व
रिकार्ड में अंकन किया जावें। वादी तथा प्रतिवादी सं. 1 का खाता निम्न प्रकार
से अलग किया जाता है:-

लगातार --2


महायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

